FINANCE DEPARTMENT (TAX DIVISION)

NOTIFICATION Jaipur, July 10, 2019

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the registration fees chargeable on the conveyance deed or lease deed regarding residential flat or house executed by the State Government or local authority or any other authority of the State Government or gift deed regarding residential flat or house executed by any person or private institution,-

- (i) in favour of wife of martyr,
- (ii) if the wife of martyr is not alive, then in favour of either minor daughter or minor son, and
- (iii) if the martyr was unmarried, then in favour of either father or mother, shall be remitted on submission of the certificate of identity issued by Director, Sainik Kalyan Vibhag, Government of Rajasthan.

[No.F.4(17)FD/Tax/2019-37] By Order of the Governor

(Bishnu Charan Mallick)
Joint Secretary to Government

वित्त विभाग (कर अनुभाग) अधिसूचना जयपुर, जुलाई 10, 2019

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि,-

- (i) शहीद की पत्नी के पक्ष में,
- (ii) यदि शहीद की पत्नी जीवित नहीं है, तब या तो अवयस्क पुत्री या अवयस्क पुत्र के पक्ष में, और
- (iii) यदि शहीद अविवाहित था, तब या तो उसके पिता या माता के पक्ष में,

राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा आवासीय फ्लैट या मकान के संबंध में निष्पादित हस्तान्तरण विलेख या पट्टा विलेख या किसी व्यक्ति या प्राईवेट संस्था द्वारा आवासीय फ्लैट या मकान के संबंध में निष्पादित दान विलेख पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस का, निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये गये पहचान-पत्र के प्रस्तुत किये जाने पर परिहार किया जायेगा।

[प.4(17)वित्त/कर/2019-37]

राज्यपाल के आदेश से,

(बिष्णु चरेंण मल्लिक)

संयुक्त शासन सचिव